

विचार बिन्दु

चापलूस आपको हानि पहुंचा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। -हरिऔध

राजस्थान के शैक्षिक स्तर में गिरावट---ASER, 2022

‘असर’ (Annual Status of Education Report), 2022 दिनांक 18 जनवरी 2023 को जारी हुई है। यह रिपोर्ट भारत की शैक्षिक क्षेत्र में काम करने वाली अग्रणी संस्था ‘प्रथम’ के द्वारा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वेच्छिक संगठनों के सहयोग से सर्वेक्षण एवं साक्षात्कार के आधार पर जारी की जाती है। इस प्रकार की रिपोर्ट वर्ष 2005 से जारी की जा रही है। असर - 2022, इस कड़ी में 12वीं रिपोर्ट है। यह सर्वेक्षण पूरे भारत के कुल 627 जिलों में से 616 में किया गया एवं इस सर्वेक्षण में 19060 गांव को सम्मिलित किया गया।

374554 परिवारों को सर्वेक्षण में शामिल किया गया। यह सर्वेक्षण मुख्य रूप से 16 वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को आंकने की दृष्टि से किया गया।

कई वर्षों से किए जा रहे सर्वे को विश्वसनीयता इसी से प्रकट होती है कि कई शिक्षाविदों द्वारा शिक्षा संबंधी योजनाओं को बनाते समय ‘असर’ की रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाता है।

इस सर्वेक्षण में मुख्य रूप से बच्चों की, समझ के साथ पढ़ने की तथा सरल गणना करने की क्षमता की जांच की जाती है। ऐसा मानना है कि भाषा एवं अंक गणितीय जोड़, बाकी, गुणा, भाग करने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है और आगे की पढ़ाई की नींव का काम करती है।

मेरा स्वयं का मानना है कि सभी बच्चों में भाषा एवं अंकगणितीय गणना में परांगत होना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। इसके अलावा विद्यालयों में नामांकन, विद्यालयों के आधारभूत सुविधाओं की स्थिति, बालिकाओं के शौचालय की स्थिति पर भी रिपोर्ट दी गई है।

हम इस लेख में राजस्थान से संबंधित रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। राजस्थान के सभी 33 जिलों में यह सर्वे किया गया। वर्ष 2018 के पश्चात यह प्रथम सर्वेक्षण था। 4 वर्ष की अवधि में कोरोना के 2 वर्ष भी सम्मिलित हैं। सबसे पहले यह उचित होगा कि असर -2022 के निष्कर्षों पर एक दृष्टि डाल लें।

नामांकन में निश्चित रूप से पूरे भारत के साथ ही राजस्थान में भी वृद्धि हुई है और 2022 में यह 98.2% हो गया है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वालों का प्रतिशत 2018 के 60% से बढ़कर 69% हो गया है। उल्लेखनीय है कि 15-16 वर्ष की आयु की बालिकाओं में केवल 9.4% ही ऐसी हैं जो विद्यालय नहीं जा रही हैं।

वर्ष 2012 में जहां सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले पांचवी कक्षा के विद्यार्थियों में से 46.8% दूसरी कक्षा का पाठ पढ़ सकते थे, वहीं 2022 में यह घटकर 38.2% रह गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले लगभग 62% बालक बालिका दूसरी कक्षा का स्तर भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इसी तरह, 2012 में जहां आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में से 77.5% दूसरी कक्षा का पाठ पढ़ सकते थे, 2022 में यह घटकर 71.5 प्रतिशत रह गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि शैक्षिक स्तर जहां पहले ही बहुत कमजोर था अब वहां और भी कमजोर हो गया है।

पाठकों के लिए यह जानकारी चौंकाने वाली हो सकती है कि आठवीं में अध्ययनरत छात्रों में से 1.5% छात्र तो एक से तो एक के अंक पढ़चान नहीं सकते हैं। 100 तक के अंक पढ़चानने वालों की संख्या 33% है। आठवीं के बच्चों में 3.5% ऐसे हैं जो भाग करना जानते हैं। इसी प्रकार पांचवीं में पढ़ने वाले में से केवल 13% बच्चे भाग देना जानते हैं।

वर्ष 2012 में जहां तीसरी कक्षा के 18.8% बच्चे घटाव करना जानते थे वहीं अब 2022 में केवल 11.8% ही ऐसा कर सकते हैं। इनमें भी, सरकारी विद्यालयों में तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों में तो। घटाव करने वाले केवल 4.9% ही हैं एवं निजी विद्यालयों में ऐसा करने वाले छात्रों का प्रतिशत 26.3% है। स्पष्ट है कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि घटाव करने की क्षमता दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों से अपेक्षित है।

कक्षा 5 के विद्यार्थियों में से 2012 में 21.2% भाग दे सकते थे, वहीं अब 2022 में केवल 13.3% ही भाग देना जानते हैं। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले पांचवी के बच्चों में तो केवल 6.3% ही भाग देना जानते हैं। इसी प्रकार कक्षा आठ के पढ़ने वाले बच्चों में 2012 में 45.1% में भाग देना जानते थे, वहीं यह 2022 में यह घटकर 35.7% रह गया है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले आठवीं के बच्चों में से केवल 29% बच्चे ही ऐसे हैं जो भाग कर सकते हैं जबकि निजी विद्यालयों में यह 54% है।

वर्ष 2012 में आठवीं में पढ़ने वाले बच्चों में से 39.8% अंग्रेजी के वाक्य पढ़ सकते थे जबकि 2022 में ऐसा करने वाले बच्चों का प्रतिशत 35.2 प्रतिशत रह गया है।

सरकारी विद्यालयों में तो आठवीं के बच्चों में वाक्य पढ़ने वालों का प्रतिशत केवल 26.9% है। पांचवी कक्षा के बच्चों में से जहां 2012 में 14.8% वाक्य पढ़ सकते थे वहीं अब 2022 में यह केवल 10% बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं।

असर-2022 में यह तथ्य भी सामने आया है कि राजस्थान के विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि हुई है। पेयजल की सुविधा 2010 में 68% प्रतिशत विद्यालयों में उपलब्ध थी, वहीं अब यह 75% में उपलब्ध है। 2010 में 65.4% विद्यालयों में शौचालय थे जबकि 2022 में यह सुविधा 86.8% में है। लड़कियों के लिए प्रयोग करने योग्य शौचालय जहां 2010 में केवल 50% विद्यालयों में थे, वहीं अब यह 84% विद्यालयों में उपलब्ध है। इसी प्रकार पुस्तकालय की किताबों का उपयोग भी जहां 2010 में 23% बच्चों द्वारा किया जा रहा था वहां अब 36% बच्चों के द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त आंकड़े विस्तार से इसलिए दिए गए हैं, ताकि यह पता लग सके कि राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है? यह सब इसके बावजूद कि बहुत बड़ी धनराशि विद्यालय, शौचालय बनाने और कंप्यूटर खरीदने पर एवं शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खर्च की गई है। इस सब के बावजूद, यदि यह स्थिति बनी है तो आगे चलकर किस प्रकार के नागरिक देश में उपलब्ध होंगे और इनके रोजगार प्राप्त करने की क्षमता या संभावना कितनी होगी, यह विचारणीय है। कोई आश्चर्य नहीं कि, राजस्थान में बेरोजगारी का प्रतिशत देश के अन्य राज्यों से अधिक है। जब प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थी सरल भाषा में पढ़ना और गणना करना भी नहीं सीख पाएंगे तो आगे चलकर के किसी भी प्रकार की पढ़ाई कर लें, उनका आधार बहुत कमजोर ही रहेगा। कभी-कभी ऐसा लगता है कि आज से 30-40 वर्ष पूर्व शिक्षा का स्तर कहीं बेहतर था, जबकि आधारभूत सुविधाएं कहीं कम थीं।

इन सब से निष्कर्ष यही निकलता है कि विद्यालयों में सब कुछ हो रहा है पर शिक्षा गीण हो गई है। शिक्षक भी शिक्षा के अतिरिक्त कई प्रकार के अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। यह अच्छी बात है कि भारत सरकार ने ‘निपुण भारत’ नामक योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत 2025 तक तीसरी कक्षा के शत-प्रतिशत बच्चों में पढ़ने और गणना की दक्षता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में तो जिन बच्चों का यह सर्वे किया गया उनमें से 10% ही ऐसा करने में सक्षम हैं। इसका मतलब यह है कि स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करके बहुत तेजी से इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है।


सम्भव है, राज्य सरकार इस रिपोर्ट को सिर से खारिज कर दे और यह दावा करे कि राजस्थान का शैक्षिक स्तर तो देश में नंबर एक पर है, जैसा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे के आधार पर सामने आया था। जब हम ‘असर’ जैसी सर्वमान्य, निष्पक्ष रिपोर्ट को ही खारिज कर देंगे, तो वैसी ही बात होगी, जैसे हम चेहरे की खराबी पर ध्यान देने के बजाय शीशे को दोष दें। इस रिपोर्ट को खारिज करने के बजाए उचित होगा कि, इस प्रकार की खराब स्थिति के कारणों का पता लगाया जाए और उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाए।

आजकल शिक्षक अधिकांशक समय केवल आंकड़े तैयार करने में ही लगा है। बच्चों के शैक्षिक स्तर में सुधार तभी संभव है, जब विद्यालयों में अधिकाधिक समय शिक्षक, बच्चों के साथ बिताएं और उन्हें अन्य कई प्रकार के अनावश्यक कार्यों से मुक्त किया जाए। शिक्षकों को आंकड़ों के मकड़जाल से निकालकर आनंददायी वातावरण में शिक्षा देने का माध्यम बनाया जाए, ताकि कम से कम प्रारंभिक शिक्षा के बाद 100% छात्र, भाषा और गणना में तो दक्षता प्राप्त कर ही लें। यह भी एक विडंबना है कि राजस्थान, जिसके द्वारा शिक्षा में किए गए प्रयोग जैसे लोक जुम्बिश और शिक्षा कर्मा के सिद्धांत पूरे देश में अपनाए गए, वहीं राजस्थान की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में इनकी सीख का समावेश नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप, 10 वर्षों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि कोरोना के कारण जितना शैक्षिक स्तर में नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने हेतु सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई और कोई ठोस योजना नहीं बनाई। केवल राज्य स्तर पर शिक्षकों और छात्रों का अनुपात का बखान करने से काम नहीं चलेगा। यह देखना होगा कि शिक्षकों का पद स्थान भी राजस्थान के सभी क्षेत्रों में, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में समान रूप से हो और सभी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात में हो।

आशा की जानी चाहिए कि -2022 के परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में उपयुक्त बदलाव किए जाएं और ‘असर’ की अगली रिपोर्ट में राजस्थान और देश की बेहतर स्थिति सामने आए। ऐसा होने पर ही हम आज के बच्चे और कल के नागरिकों के साथ न्याय कर पाएंगे।

-अतिथि संपादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



डॉ. श्रीगोपाल काबरा

राजस्थान के एक कम्बे की रहने वाली विवाहित महिला को जयपुर के जाने-माने निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज सिर दर्द, उल्टियां, बुखार और बहकीं बातीं सघन जांचें हुईं। ब्रेन का सी टी स्कैन हुआ। निदान - फेफड़ों में मिलियरी ट्यूबरक्यूलोसिस और ब्रेन में सेरोब्रेन, सेरोबेलम, कार्पस केलेसम और ब्रेन स्टेम में सब जगह फैली हुई टी.बी. की गांठें। स्थिति गंभीर। टी.बी. का इलाज चला। आराम मिला, स्थिति में सुधार हुआ। खाने-पीने और अपना काम करने लगी। अस्पताल में भर्ती रह कर कुछ करना नहीं था, टी.बी. की दवाइयां लम्बी चलनी थी, अतः छुट्टी दे दी गई। कुछ दिन बाद महिला की माँ का डॉक्टर साहिबा के पास फोन आया। बताया, वह दवाईयां नहीं ले रही है, और हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने अस्पताल लाने को कहा। नहीं लाए। बहुत हालत गिरने और बेहोशी आने पर अस्पताल ले कर आये। स्थिति सी यू में भर्ती किया गया। सघन इलाज चला। न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट आदि सभी विशेषज्ञों की देख रेख में इलाज। बावजूद इसके हालात गिरते गए। भर्ती होने के दूसरे दिन कार्डियाक एरेस्ट हुआ, हृदय गति व सांस बंद गई। सी पी आर कर रोगिणी को रिसिटेट किया गया (जीवित किया गया) और बेहोश मरीज को मेकेनिकल वेन्टिलेशन पर रलिया गया, मोनिटर लगा।

मेडिसिन और लॉ - न्याय की विवृत परिणति

हालत गिरती गई। हृदय गति गड़बड़ हुई, कार्डियोलॉजिस्ट आये। हालांकि कार्डियाक मोनिटर लगा हुआ था फिर भी विस्तृत जांच के लिए आई सी यू में उपलब्ध 20 चैनल ईसीजी मशीन पर ईसीजी ली गई। कार्डियोलॉजिस्ट ने ईसीजी देखी। उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं थी। उन्होंने ईसीजी को फाईंडिंग मरीज की फाइल में रिकॉर्ड की और स्थिति के अनुरूप दवा लिख दी। ईसीजी रिपोर्ट मरीज की फाइल में लगा दी। दो दिन बाद मरीज को फिर कार्डियाक एरेस्ट हुआ। सीपीआर किया गया लेकिन हृदय गति नहीं लौटी।

रोगिणी की माँ जो जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष थी, चाची जो भाजपा महिला कमेटी की अध्यक्ष थी और पिता जो वकालत के पेशे में थे, ने अलग-अलग शिकायतें कीं। नोटिस भेजे, थाने में शिकायत की, आर टी आई लगाई, राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की, मेडिकल काउन्सिल मे शिकायत और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में 2 करोड़ का दावा किया।

शिकायत का आधार - रोगिणी को ब्रेन की गंभीर टी.बी. थी तो किसी बड़े न्यूरोलॉजिस्ट से रेफर क्यों नहीं किया जाये?

मरीज की फाइल में जो ईसीजी लगी थी उसमें किसी अन्य मरीज का नम्बर, नाम, और उम्र थी और इस गलत रिपोर्ट के आधार पर इलाज करने से मरीज की मृत्यु हुई।

पुलिस का फरमान आया। डॉक्टर को मरीज का रिकार्ड ले कर थाने में हाजिर होने को कहा। फिर अस्पताल आकर, लेडी डॉक्टर के बयान और मरीज का रिकार्ड ले गये। जांच की। मेडिकल बोर्ड विठिया और रिपोर्ट फाइल की।

मेडिकल काउन्सिल ऑफ इन्डिया ने केस स्टेटेड मेडिकल काउन्सिल को भेज कर रिपोर्ट भेजने का कहा। स्टेटेड मेडिकल काउन्सिल का फरमान, डॉक्टर जवाब और पेशेन्ट का समस्त रिकार्ड ले कर

न आए फिर बोले, चलिए मरीज को देख आते हैं, इसी बहाने अस्पताल का काम काज देख लेंगे।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को केस में जांच करावा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ने हैरथ सेक्रेटरी को और उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाने को कहा। पुलिस की कंप्लेंट पर बोर्ड पहले ही केस की जांच कर रिपोर्ट दे चुका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट व समस्त रिकार्ड लेकर व्यक्तिगतः हाजिर होने का नोटिस भेज दिया। हडकम्प मच गया। प्रिन्सिपल ने अनान-फानन में फिर उसी बोर्ड को तुरंत जांच कर आदेश की अनुपालना करने को कहा। बोर्ड ने प्रिन्सिपल सेक्रेटरी का आदेश संलग्न कर फरमान भेजा कि केस से जुड़े सभी चिकित्सक, नर्सज, तकनीशियन व अन्य पेशेन्ट रिकार्ड, सी टी स्कैन, ईसीजी रिपोर्ट व अन्य सभी जांचों की रिपोर्ट ले कर बोर्ड के सामने उपस्थित हों। यह आखिरी नोटिस है। हैरथ सेक्रेटरी ने अपने अधीन सीएमएचओ को अस्पताल से समस्त रिकार्ड ले कर व्यक्तिगतः मेडिकल बोर्ड को देने का आदेश दिया। समस्त रिकार्ड उन्हें दे दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रेन की सीटी स्कैन में ब्रेन में टोबी की गांठें, विशेष कर ब्रेन स्टेम में जहां साइटेड सेन्टर होते हैं, देख कर यह रिपोर्ट देने में कोई विवृतिया नहीं हुई कि मरीज की माँ मस्तिष्क की गंभीर टीबी के कारण हुई। निष्कर्ष में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसके आधार सम्बन्धी सीटी स्कैन, ईसीजी, अन्य जांचें और इलाज का पूरा रिकार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दी। वह संतुष्ट नहीं था। तब आयोग ने अपने डी आई जी को जांच करवाने के आदेश दिए। पूरा रिकार्ड भी

न आए फिर बोले, चलिए मरीज को देख आते हैं, इसी बहाने अस्पताल का काम काज देख लेंगे।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को केस में जांच करावा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ने हैरथ सेक्रेटरी को और उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाने को कहा। पुलिस की कंप्लेंट पर बोर्ड पहले ही केस की जांच कर रिपोर्ट दे चुका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट व समस्त रिकार्ड लेकर व्यक्तिगतः हाजिर होने का नोटिस भेज दिया। हडकम्प मच गया। प्रिन्सिपल ने अनान-फानन में फिर उसी बोर्ड को तुरंत जांच कर आदेश की अनुपालना करने को कहा। बोर्ड ने प्रिन्सिपल सेक्रेटरी का आदेश संलग्न कर फरमान भेजा कि केस से जुड़े सभी चिकित्सक, नर्सज, तकनीशियन व अन्य पेशेन्ट रिकार्ड, सी टी स्कैन, ईसीजी रिपोर्ट व अन्य सभी जांचों की रिपोर्ट ले कर बोर्ड के सामने उपस्थित हों। यह आखिरी नोटिस है। हैरथ सेक्रेटरी ने अपने अधीन सीएमएचओ को अस्पताल से समस्त रिकार्ड ले कर व्यक्तिगतः मेडिकल बोर्ड को देने का आदेश दिया। समस्त रिकार्ड उन्हें दे दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रेन की सीटी स्कैन में ब्रेन में टोबी की गांठें, विशेष कर ब्रेन स्टेम में जहां साइटेड सेन्टर होते हैं, देख कर यह रिपोर्ट देने में कोई विवृतिया नहीं हुई कि मरीज की माँ मस्तिष्क की गंभीर टीबी के कारण हुई। निष्कर्ष में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसके आधार सम्बन्धी सीटी स्कैन, ईसीजी, अन्य जांचें और इलाज का पूरा रिकार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दी। वह संतुष्ट नहीं था। तब आयोग ने अपने डी आई जी को जांच करवाने के आदेश दिए। पूरा रिकार्ड भी

न आए फिर बोले, चलिए मरीज को देख आते हैं, इसी बहाने अस्पताल का काम काज देख लेंगे।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को केस में जांच करावा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ने हैरथ सेक्रेटरी को और उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाने को कहा। पुलिस की कंप्लेंट पर बोर्ड पहले ही केस की जांच कर रिपोर्ट दे चुका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट व समस्त रिकार्ड लेकर व्यक्तिगतः हाजिर होने का नोटिस भेज दिया। हडकम्प मच गया। प्रिन्सिपल ने अनान-फानन में फिर उसी बोर्ड को तुरंत जांच कर आदेश की अनुपालना करने को कहा। बोर्ड ने प्रिन्सिपल सेक्रेटरी का आदेश संलग्न कर फरमान भेजा कि केस से जुड़े सभी चिकित्सक, नर्सज, तकनीशियन व अन्य पेशेन्ट रिकार्ड, सी टी स्कैन, ईसीजी रिपोर्ट व अन्य सभी जांचों की रिपोर्ट ले कर बोर्ड के सामने उपस्थित हों। यह आखिरी नोटिस है। हैरथ सेक्रेटरी ने अपने अधीन सीएमएचओ को अस्पताल से समस्त रिकार्ड ले कर व्यक्तिगतः मेडिकल बोर्ड को देने का आदेश दिया। समस्त रिकार्ड उन्हें दे दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रेन की सीटी स्कैन में ब्रेन में टोबी की गांठें, विशेष कर ब्रेन स्टेम में जहां साइटेड सेन्टर होते हैं, देख कर यह रिपोर्ट देने में कोई विवृतिया नहीं हुई कि मरीज की माँ मस्तिष्क की गंभीर टीबी के कारण हुई। निष्कर्ष में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसके आधार सम्बन्धी सीटी स्कैन, ईसीजी, अन्य जांचें और इलाज का पूरा रिकार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दी। वह संतुष्ट नहीं था। तब आयोग ने अपने डी आई जी को जांच करवाने के आदेश दिए। पूरा रिकार्ड भी

न आए फिर बोले, चलिए मरीज को देख आते हैं, इसी बहाने अस्पताल का काम काज देख लेंगे।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को केस में जांच करावा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ने हैरथ सेक्रेटरी को और उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाने को कहा। पुलिस की कंप्लेंट पर बोर्ड पहले ही केस की जांच कर रिपोर्ट दे चुका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट व समस्त रिकार्ड लेकर व्यक्तिगतः हाजिर होने का नोटिस भेज दिया। हडकम्प मच गया। प्रिन्सिपल ने अनान-फानन में फिर उसी बोर्ड को तुरंत जांच कर आदेश की अनुपालना करने को कहा। बोर्ड ने प्रिन्सिपल सेक्रेटरी का आदेश संलग्न कर फरमान भेजा कि केस से जुड़े सभी चिकित्सक, नर्सज, तकनीशियन व अन्य पेशेन्ट रिकार्ड, सी टी स्कैन, ईसीजी रिपोर्ट व अन्य सभी जांचों की रिपोर्ट ले कर बोर्ड के सामने उपस्थित हों। यह आखिरी नोटिस है। हैरथ सेक्रेटरी ने अपने अधीन सीएमएचओ को अस्पताल से समस्त रिकार्ड ले कर व्यक्तिगतः मेडिकल बोर्ड को देने का आदेश दिया। समस्त रिकार्ड उन्हें दे दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रेन की सीटी स्कैन में ब्रेन में टोबी की गांठें, विशेष कर ब्रेन स्टेम में जहां साइटेड सेन्टर होते हैं, देख कर यह रिपोर्ट देने में कोई विवृतिया नहीं हुई कि मरीज की माँ मस्तिष्क की गंभीर टीबी के कारण हुई। निष्कर्ष में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसके आधार सम्बन्धी सीटी स्कैन, ईसीजी, अन्य जांचें और इलाज का पूरा रिकार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दी। वह संतुष्ट नहीं था। तब आयोग ने अपने डी आई जी को जांच करवाने के आदेश दिए। पूरा रिकार्ड भी

न आए फिर बोले, चलिए मरीज को देख आते हैं, इसी बहाने अस्पताल का काम काज देख लेंगे।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को केस में जांच करावा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ने हैरथ सेक्रेटरी को और उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाने को कहा। पुलिस की कंप्लेंट पर बोर्ड पहले ही केस की जांच कर रिपोर्ट दे चुका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट व समस्त रिकार्ड लेकर व्यक्तिगतः हाजिर होने का नोटिस भेज दिया। हडकम्प मच गया। प्रिन्सिपल ने अनान-फानन में फिर उसी बोर्ड को तुरंत जांच कर आदेश की अनुपालना करने को कहा। बोर्ड ने प्रिन्सिपल सेक्रेटरी का आदेश संलग्न कर फरमान भेजा कि केस से जुड़े सभी चिकित्सक, नर्सज, तकनीशियन व अन्य पेशेन्ट रिकार्ड, सी टी स्कैन, ईसीजी रिपोर्ट व अन्य सभी जांचों की रिपोर्ट ले कर बोर्ड के सामने उपस्थित हों। यह आखिरी नोटिस है। हैरथ सेक्रेटरी ने अपने अधीन सीएमएचओ को अस्पताल से समस्त रिकार्ड ले कर व्यक्तिगतः मेडिकल बोर्ड को देने का आदेश दिया। समस्त रिकार्ड उन्हें दे दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रेन की सीटी स्कैन में ब्रेन में टोबी की गांठें, विशेष कर ब्रेन स्टेम में जहां साइटेड सेन्टर होते हैं, देख कर यह रिपोर्ट देने में कोई विवृतिया नहीं हुई कि मरीज की माँ मस्तिष्क की गंभीर टीबी के कारण हुई। निष्कर्ष में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसके आधार सम्बन्धी सीटी स्कैन, ईसीजी, अन्य जांचें और इलाज का पूरा रिकार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दी। वह संतुष्ट नहीं था। तब आयोग ने अपने डी आई जी को जांच करवाने के आदेश दिए। पूरा रिकार्ड भी

न आए फिर बोले, चलिए मरीज को देख आते हैं, इसी बहाने अस्पताल का काम काज देख लेंगे।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को केस में जांच करावा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ने हैरथ सेक्रेटरी को और उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाने को कहा। पुलिस की कंप्लेंट पर बोर्ड पहले ही केस की जांच कर रिपोर्ट दे चुका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट व समस्त रिकार्ड लेकर व्यक्तिगतः हाजिर होने का नोटिस भेज दिया। हडकम्प मच गया। प्रिन्सिपल ने अनान-फानन में फिर उसी बोर्ड को तुरंत जांच कर आदेश की अनुपालना करने को कहा। बोर्ड ने प्रिन्सिपल सेक्रेटरी का आदेश संलग्न कर फरमान भेजा कि केस से जुड़े सभी चिकित्सक, नर्सज, तकनीशियन व अन्य पेशेन्ट रिकार्ड, सी टी स्कैन, ईसीजी रिपोर्ट व अन्य सभी जांचों की रिपोर्ट ले कर बोर्ड के सामने उपस्थित हों। यह आखिरी नोटिस है। हैरथ सेक्रेटरी ने अपने अधीन सीएमएचओ को अस्पताल से समस्त रिकार्ड ले कर व्यक्तिगतः मेडिकल बोर्ड को देने का आदेश दिया। समस्त रिकार्ड उन्हें दे दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रेन की सीटी स्कैन में ब्रेन में टोबी की गांठें, विशेष कर ब्रेन स्टेम में जहां साइटेड सेन्टर होते हैं, देख कर यह रिपोर्ट देने में कोई विवृतिया नहीं हुई कि मरीज की माँ मस्तिष्क की गंभीर टीबी के कारण हुई। निष्कर्ष में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसके आधार सम्बन्धी सीटी स्कैन, ईसीजी, अन्य जांचें और इलाज का पूरा रिकार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दी। वह संतुष्ट नहीं था। तब आयोग ने अपने डी आई जी को जांच करवाने के आदेश दिए। पूरा रिकार्ड भी

न आए फिर बोले, चलिए मरीज को देख आते हैं, इसी बहाने अस्पताल का काम काज देख लेंगे।

नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को केस में जांच करावा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ने हैरथ सेक्रेटरी को और उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाने को कहा। पुलिस की कंप्लेंट पर बोर्ड पहले ही केस की जांच कर रिपोर्ट दे चुका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट व समस्त रिकार्ड लेकर व्यक्तिगतः हाजिर होने का नोटिस भेज दिया। हडकम्प मच गया। प्रिन्सिपल ने अनान-फानन में फिर उसी बोर्ड को तुरंत जांच कर आदेश की अनुपालना करने को कहा। बोर्ड ने प्रिन्सिपल सेक्रेटरी का आदेश संलग्न कर फरमान भेजा कि केस से जुड़े सभी चिकित्सक, नर्सज, तकनीशियन व अन्य पेशेन्ट रिकार्ड, सी टी स्कैन, ईसीजी रिपोर्ट व अन्य सभी जांचों की रिपोर्ट ले कर बोर्ड के सामने उपस्थित हों। यह आखिरी नोटिस है। हैरथ सेक्रेटरी ने अपने अधीन सीएमएचओ को अस्पताल से समस्त रिकार्ड ले कर व्यक्तिगतः मेडिकल बोर्ड को देने का आदेश दिया। समस्त रिकार्ड उन्हें दे दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रेन की सीटी स्कैन में ब्रेन में टोबी की गांठें, विशेष कर ब्रेन स्टेम में जहां साइटेड सेन्टर होते हैं, देख कर यह रिपोर्ट देने में कोई विवृतिया नहीं हुई कि मरीज की माँ मस्तिष्क की गंभीर टीबी के कारण हुई। निष्कर्ष में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसके आधार सम्बन्धी सीटी स्कैन, ईसीजी, अन्य जांचें और इलाज का पूरा रिकार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दी। वह संतुष्ट नहीं था। तब आयोग ने अपने डी आई जी को जांच करवाने के आदेश दिए। पूरा रिकार्ड भी

न आए फिर बोले, चलिए मरीज को देख आते हैं, इसी बहाने अस्पताल का काम काज देख लेंगे।


नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को केस में जांच करावा कर रिपोर्ट भेजने को कहा। प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ने हैरथ सेक्रेटरी को और उन्होंने मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल को मेडिकल बोर्ड बिठा कर जांच करवाने को कहा। पुलिस की कंप्लेंट पर बोर्ड पहले ही केस की जांच कर रिपोर्ट दे चुका था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास रिपोर्ट नहीं पहुंची तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रिन्सिपल सेक्रेटरी को रिपोर्ट व समस्त रिकार्ड लेकर व्यक्तिगतः हाजिर होने का नोटिस भेज दिया। हडकम्प मच गया। प्रिन्सिपल ने अनान-फानन में फिर उसी बोर्ड को तुरंत जांच कर आदेश की अनुपालना करने को कहा। बोर्ड ने प्रिन्सिपल सेक्रेटरी का आदेश संलग्न कर फरमान भेजा कि केस से जुड़े सभी चिकित्सक, नर्सज, तकनीशियन व अन्य पेशेन्ट रिकार्ड, सी टी स्कैन, ईसीजी रिपोर्ट व अन्य सभी जांचों की रिपोर्ट ले कर बोर्ड के सामने उपस्थित हों। यह आखिरी नोटिस है। हैरथ सेक्रेटरी ने अपने अधीन सीएमएचओ को अस्पताल से समस्त रिकार्ड ले कर व्यक्तिगतः मेडिकल बोर्ड को देने का आदेश दिया। समस्त रिकार्ड उन्हें दे दिया गया। बोर्ड के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रेन की सीटी स्कैन में ब्रेन में टोबी की गांठें, विशेष कर ब्रेन स्टेम में जहां साइटेड सेन्टर होते हैं, देख कर यह रिपोर्ट देने में कोई विवृतिया नहीं हुई कि मरीज की माँ मस्तिष्क की गंभीर टीबी के कारण हुई। निष्कर्ष में कोई चूक नहीं हुई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट और उसके आधार सम्बन्धी सीटी स्कैन, ईसीजी, अन्य जांचें और इलाज का पूरा रिकार्ड राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेज दिया। मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट शिकायतकर्ता को दी। वह संतुष्ट नहीं था। तब आयोग ने अपने डी आई जी को जांच करवाने के आदेश दिए। पूरा रिकार्ड भी

चांद दिखने के साथ ख्वाजा साहब के उर्स की विधिवत् शुरुआत, जन्नती दरवाजा खुला

अजमेर, (कास)। सुफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 811वें सालाना उर्स की विधिवत् शुरुआत सोमवार को रजब महीने का चांद दिखाई देने के साथ हुई। आम जायरीन के लिए जन्नती दरवाजा भी तड़के खोला दिया गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सालाना 811वें उर्स की औपचारिक शुरुआत से पहले सोमवार को जिला प्रशासन के द्वारा दरगाह में चांद पेश की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने दरगाह में चांद पेश कर उर्स शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो इसे लेकर के दुआ मांगी।

सैय्यद फजले हासन चिश्ती ने बताया कि सोमवार दरगाह स्थित पीर साहब की पहाड़ी से तोप दमकर शरदियाए एवं गंगाई बजाकर उर्स के आगाज मुनादी की गई और इसके साथ उर्स की धार्मिक रस्में भी शुरू हो गईं। दरगाह के महफिल खाने में सोमवार रात को उर्स की पहली महफिल दरगाह दीवान सैय्यद जैनुअल आबेदीन अली खान की सदरत में हुई। छह दिवसीय सालाना उर्स अपनी धार्मिक रस्में के ही उर्स परवान चढ़ता जाएगा।

उर्स में शरीक होने के लिए जायरीन के यहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जयपुर और आसपास के



उर्स की विधिवत् शुरुआत के दौरान खोले गए जन्नती दरवाजे से गुजरते जायरीन।

इलाकों से बड़ी संख्या में लोग पैदल चल कर यहां पहुंचे हैं। रास्ते में भी कई काफिले चल रहे हैं। दरगाह क्षेत्र में अब भीड़ बढ़ने लगी है। देर रात तक दरगाह बाजार और आसपास के क्षेत्र में रौनक बनी हुई है।